Edit with WPS Office

नालसी:- 92c/**2021**

दिलीप कुमार झा/ राकेश कुमार रंजन

14/12/2021:- अभियुक्त राकेश कुमार रंजन की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन हाजरी के साथ न्यायालय में दाखिल किया गया। जमानत की प्रति सूचक के अधिवक्ता को प्राप्त कराया गया। बाद पुकार हुआ। पुकार पर अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए।

जमानत आवेदन प्रचालित किया गया। जमानत के बिंदु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, इसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा अन्य वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा अभियुक्त पर लगाए गए सभी धाराऐ जमानतीय है, सिर्फ धारा **379**भा0 द0 वि0 अजमानतीय है। अभियुक्त की संज्ञानोपरांत प्रथम उपस्थिति है। अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा मांगे गए रकम का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। बचाव पक्ष ने जमानत का विरोध किया।

उभयपक्ष को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है अभियुक्त के विरुद्ध धारा-**323,379,504/34** भा0 द0 वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। अभियुक्त सम्मन पर न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किये है। धारा **379** भा0 द0 वि0 को छोड़कर अन्य धारा जमानतीय है।अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त राकेश कुमार रंजन को मो0 **5000/-** के दो समान राशि की प्रतिभू सहित का बंध पत्र एवं इस निर्देश के साथ कि अभियुक्त लगातार तीन तिथियों तक न्यायालय में सदैह उपस्थित रहेंगे , दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

लेखापित

न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी

मंझौल बेगूसराय।

तत्पश्चात,

14/12/2021:- अभियुक्त राकेश कुमार रंजन की ओर से मांगे गए रकम का बंध पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर------------------------ किया जाता है, तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी

मंझौल बेगूसराय